

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/48/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 सितंबर, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. सीवीडी/ओआई/008/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अघुलनशील सल्फर" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/48/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसमें आगे 'नियमावली' अथवा 'सीवीडी नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, ओसीसीएल लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अघुलनशील सल्फर (जिसे इसमें आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा, जिसमें उन विभिन्न प्रांतों और नगरपालिकाओं की सरकारें, जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, तथा अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के सुसंगत कानूनों, नियमों, विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं पर तथा उन विभिन्न जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर विश्वास किया है, जिन्होंने ऐसी स्कीमों की व्यापक जांच की है और प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है।

पृष्ठभूमि

3. चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 6/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा शुरू की गई थी। उक्त जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने फा. सं. 06/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 7 मार्च, 2025 द्वारा जारी अपने अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून, 2025 द्वारा सिफारिश किए गए शुल्कों को लागू किया।
4. चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए अधिसूचना सं. 7/03/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च, 2026 द्वारा एक अवशोषण-रोधी जांच शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर दिनांक 18 सितंबर, 2026 द्वारा प्राधिकारी ने यह

निष्कर्ष निकाला कि शुल्क अधिरोपण के पश्चात् उत्पादन लागत में तदनुरूप गिरावट के बिना निर्यात कीमत में आई गिरावट को देखते हुए शुल्क की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद "अघुलनशील सल्फर" है (जिसे इसमें आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है)। परिभाषा के अनुसार, अघुलनशील सल्फर एक बहुलकीय (पॉलिमरिक) सल्फर है, जो कार्बन डाइसल्फाइड (CS₂) में अघुलनशील होता है। अघुलनशील सल्फर का उपयोग सामान्यतः कुछ रबड़ अनुप्रयोगों में वल्कनीकरण एजेंट के रूप में ब्लूमिंग की उस प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, जो रबड़ कंपाउंड के लिए हानिकारक होती है।
6. अघुलनशील सल्फर एक महत्वपूर्ण रबड़ योज्य एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, घिसाव-प्रतिरोध तथा थकान और क्षरण (एजिंग) दोनों के प्रति प्रतिरोध में सुधार करता है। सर्वश्रेष्ठ वल्कनीकरण एजेंट के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ, इसका व्यापक उपयोग टायर, ट्रेड, जूतों, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबड़ पुर्जों और अन्य रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। अतः, अपनी नॉन-ब्लूमिंग विशेषता के कारण, अघुलनशील सल्फर का व्यापक उपयोग ऐसे रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है जिनमें सामान्य सल्फर उच्च अनुपात में मिलाया जाता है। अंतिम प्रयोक्ता उद्योग के आधार पर, भारत में अघुलनशील सल्फर की कुल खपत में से 90% से अधिक का उपयोग टायर उद्योग में और शेष का उपयोग गैर-टायर उद्योग में किया जाता है।
7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) मानी गई है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। विचाराधीन उत्पाद का आयात

टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत भी किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदक ने कोई पीसीएन कार्यप्रणाली प्रस्तावित नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली(यों) वाले सूचना पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

समान वस्तु

10. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और आधार

11. वर्तमान आवेदन ओसीसीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

12. आवेदक का कहना है कि आयात की मात्रा अत्यंत नगण्य थी और ये आयात आवेदक की एसईजेड इकाई में उत्पाद के तकनीकी मूल्यांकन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बताए गए उद्देश्य से किए गए थे। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, प्राधिकरण का विचार है कि ऐसे आयात, सीवीडी नियमों के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से आवेदक को बाहर करने का आधार नहीं बनते।
13. आवेदक ने इस बात पर बल दिया है कि आयात मात्रा की दृष्टि से अत्यल्प थे और उत्पाद के तकनीकी मूल्यांकन तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवेदक की एसईजेड इकाई में किए गए थे। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह मानते हैं कि ऐसे आयातों के कारण आवेदक को सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किया जाना अपेक्षित नहीं है।
14. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र तथा आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकरण का यह मत है कि आवेदक घरेलू उत्पादकगण, जांच की अवधि के दौरान भारत में होने वाले उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। साथ ही, आवेदन प्रति-सब्सिडी नियमावली के नियम 6(3) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

संबद्ध देश

15. आवेदन चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकृत आयातों के विरुद्ध दायर किया गया है।

जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे इसमें आगे "पीओआई" भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च,

2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तथा 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधियां और पीओआई शामिल होंगी।

कथित सब्सिडीकरण का आधार

17. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को नीचे सूचीबद्ध अनेक सब्सिडी स्कीमों/कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हुआ है, जो या तो चीन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा अथवा विभिन्न स्थानीय और नगरपालिका स्तर के प्राधिकरणों और/अथवा उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों ने अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं अथवा इक्विटी निवेश के रूप में सब्सिडी प्राप्त की है, जिनसे प्रतिसंतुलनीय लाभ प्राप्त होता है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना में यह *प्रथम दृष्टया* स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार तथा सीवीडी नियमावली के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं।
18. चीन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/कार्यक्रम प्रदान किए गए थे और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ हो सकता है:

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	समूह
1	ट्रेजरी बॉन्ड ऋण	अधिमानी ऋण
2	राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) के लिए अधिमानी ऋण	अधिमानी ऋण
3	एसओई के लिए ऋण अथवा ब्याज माफी	अधिमानी ऋण

4	शानदोंग प्रांत नीतिगत ऋण	अधिमानी ऋण
5	उच्च अथवा नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए आयकर में कमी	कर एवं वैट प्रोत्साहन
6	अनुसंधान एवं विकास व्ययों के लिए आयकर कटौती	कर एवं वैट प्रोत्साहन
7	घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों के लिए आयकर क्रेडिट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
8	स्थायी परिसंपत्ति निवेश अभिविन्यास विनियामक कर में कमी/छूट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
9	एचएनटीई के लिए घटी हुई आयकर दर	कर एवं वैट प्रोत्साहन
10	अनुसंधान एवं विकास में संलग्न घरेलू स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आयकर लाभ	कर एवं वैट प्रोत्साहन
11	आयातित उपकरणों का उपयोग करने वाले विदेशी निवेश उद्यमों (एफआईई) और कतिपय घरेलू उद्यमों के लिए आयात टैरिफ और वैट छूट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
12	औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) पर भूमि का प्रावधान	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
13	एलटीएआर पर बिजली का प्रावधान	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
14	स्थानीय सरकारों से निर्यात सहायता अनुदान	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
15	प्रसिद्ध ब्रांडों और चाइना वर्ल्ड टॉप ब्रांड्स का विकास	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
16	अनुसंधान एवं विकास व्ययों की अतिरिक्त गणना और कटौती का अधिमानी कर व्यवहार	कर एवं वैट प्रोत्साहन

17	प्रौद्योगिकी अंतरित करने वाले उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां	कर एवं वैट प्रोत्साहन
18	उपकरणों के आयात के लिए अधिमानी कर व्यवहार	कर एवं वैट प्रोत्साहन
19	वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रतिदाय नीति	कर एवं वैट प्रोत्साहन
20	शानदोंग प्रांत नीतिगत ऋण	अधिमानी ऋण
21	वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूपांतरण हेतु ब्याज सब्सिडी	क्षेत्रीय सब्सिडी
22	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय बीमा प्रीमियम, गारंटी प्रीमियम और जोखिम प्रतिपूर्ति के लिए प्रांतीय सब्सिडी	क्षेत्रीय सब्सिडी
23	उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी नीति	क्षेत्रीय सब्सिडी
24	औद्योगिक आर्थिक उच्च-गुणवत्ता विकास हेतु विशेष निधि	क्षेत्रीय सब्सिडी
25	वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूपांतरण हेतु पुरस्कार निधि	क्षेत्रीय सब्सिडी
26	उन्नत विनिर्माण उद्योग के उच्च-गुणवत्ता विकास को बढ़ावा देने हेतु निधि	क्षेत्रीय सब्सिडी
27	ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार हेतु विशेष निधि	अनुदान (अवशिष्ट)
28	स्वच्छ उत्पादन और जल उपचार हेतु निधि	अनुदान (अवशिष्ट)
29	विदेशी निवेश हेतु निर्यात-आयात बैंक द्वारा अधिमानी ऋण (गोइंग आउट)	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
30	औद्योगिक पुनर्समायोजन हेतु अधिमानी ऋण	अधिमानी ऋण
31	शेयरधारक ऋण (ऋण माफी)	इक्विटी संबंधी
32	निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए रियायती ऋण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
33	घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद पर आयकर क्रेडिट	कर एवं वैट प्रोत्साहन

34	गैर-व्यापार योग्य शेयर सुधार (एनटीएसआर) के अंतर्गत शेयर अंतरण पर स्टाम्प कर छूट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
35	विदेश व्यापार विकास निधि	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
36	चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात ऋण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
37	नीतिगत ऋण (अधिमानी ऋण)	अधिमानी ऋण
38	स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि	अनुदान (अवशिष्ट)
39	एलटीएआर पर भूमि/भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
40	विदेशी निवेश उद्यमों के लिए एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
41	अनुसंधान एवं विकास सहायता अनुदान	अनुदान (अवशिष्ट)
42	उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां	कर एवं वैट प्रोत्साहन
43	अनुसंधान एवं विकास व्ययों की कटौती हेतु कर नीतियां	कर एवं वैट प्रोत्साहन
44	निर्यात सहायता अनुदान	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
45	स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति	अनुदान (अवशिष्ट)
46	निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
47	सरकारी नीतिगत ऋण	अधिमानी ऋण
48	वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष निधि (आनहुई प्रांत)	क्षेत्रीय सब्सिडी

49	एलटीएआर पर नौवहन का प्रावधान	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
50	विदेश व्यापार विकास निधि अनुदान	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
51	चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात ऋण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
52	निर्यात क्रेता ऋण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
53	निर्यात विक्रेता ऋण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
54	प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
55	वित्तपोषण गारंटी शुल्क में कमी हेतु पुरस्कार और सब्सिडी	अधिमानि ऋण
56	पर्यावरण संरक्षण, जल और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए अधिमानि कर व्यवहार	कर एवं वैट प्रोत्साहन
57	संसाधनों के एकीकृत उपयोग हेतु अधिमानि वैट व्यवहार	कर एवं वैट प्रोत्साहन
58	वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निधि	अनुदान (अवशिष्ट)
59	वित्तपोषण पर अधिमानि कर व्यवहार	कर एवं वैट प्रोत्साहन
60	एलटीएआर पर जल का प्रावधान	एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं
61	एफआईई लाभों के पुनर्निवेश हेतु आयकर प्रतिदाय	कर एवं वैट प्रोत्साहन
62	उत्पादक एफआईई के लिए घटी हुई कर दर	कर एवं वैट प्रोत्साहन
63	उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आयकर में कमी	कर एवं वैट प्रोत्साहन

64	प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान-गहन एफआईई के लिए कर में कमी	कर एवं वैट प्रोत्साहन
65	स्थायी परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यहास	कर एवं वैट प्रोत्साहन
66	ऋण के बदले इक्विटी अदला-बदली	इक्विटी संबंधी
67	इक्विटी निवेश	इक्विटी संबंधी
68	अदत्त लाभांश	इक्विटी संबंधी
69	अर्हताप्राप्त निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
70	रसायन उद्योग को नीतिगत ऋण	अधिमानि ऋण
71	वन बेल्ट वन रोड पहल के अंतर्गत अधिमानि वित्तपोषण	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
72	चीन सरकार द्वारा ऋण गारंटी	निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम
73	राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय नवाचार हेतु प्रांतीय निधि के माध्यम से अनुदान	क्षेत्रीय सब्सिडी
74	प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य विशेष निधि	क्षेत्रीय सब्सिडी
75	सुपरस्टार उद्यम अनुदान	क्षेत्रीय सब्सिडी
76	घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने वाले एफआईई के लिए वैट प्रतिदाय	कर एवं वैट प्रोत्साहन
77	उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर कटौती कार्यक्रम	कर एवं वैट प्रोत्साहन
78	आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और वैट छूट	कर एवं वैट प्रोत्साहन
79	विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानि कर नीतियां	कर एवं वैट प्रोत्साहन

19. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त स्कीमें सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें सार्वजनिक निकायों सहित संबद्ध देश की सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान शामिल है और इनसे प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्राप्त होता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं और/अथवा कतिपय उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/अथवा उत्पादों और/अथवा क्षेत्रों तक सीमित हैं, अतः ये विनिर्दिष्ट और प्रतिसंतुलनीय हैं।
20. निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिनका अस्तित्व में होना और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उनका लाभ उठाया जाना पाया जाए।

परामर्श

21. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (जिसे इसमें आगे "एससीएम" कहा गया है) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 28 सितंबर, 2026 को एक बैठक निर्धारित करके चीन जनवादी गणराज्य की सरकार को परामर्श का अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य की सरकार बैठक में उपस्थित नहीं हुई। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरू करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

22. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने सब्सिडीकृत आयातों के मात्रात्मक प्रभावों और कीमत प्रभावों तथा घरेलू उद्योग पर उनके परिणामी प्रभाव के कारण हुई वास्तविक क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग पर बाजार हिस्सेदारी, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, वृद्धि और कीमत निष्पादन के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव

पड़ा है और उसे भारतीय बाजार में मांग में हुई वृद्धि का पूर्ण लाभ उठाने से रोका गया है। यह दावा किया गया है कि सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुए कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को पूर्ण लागत की वसूली करने और उचित प्रतिलाभ दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है। वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद ऐसी क्षति का बने रहना आगे यह प्रदर्शित करता है कि सब्सिडीकृत आयात क्षतिकारी कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं। अतः, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाते हैं।

प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, जो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात्, और अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करते हैं।

प्रक्रिया

24. वर्तमान जांच में सीवीडी नियमावली के नियम 7 में यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संगत केस आईडी- CVD/OI/008/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जिनका संबद्ध वस्तु से जुड़ा होना ज्ञात है, पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी सुसंगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र और रीति में दायर की जानी चाहिए।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र और रीति में वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा अथवा बैठक की समय-

सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।

समय-सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर पंजीकृत नाम और संगत केस आईडी के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।
31. पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिनों की अवधि उपर्युक्त समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

33. यदि प्राधिकारी किसी पश्चात्पूर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी में संशोधन करते हैं अथवा ऐसी पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाते हैं जो इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रस्तावित नहीं थी अथवा उससे भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। ऐसा विस्तार संशोधित पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली की सूचना की तारीख से प्रभावी होगा, और जहां जांच शुरुआत के पश्चात् पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां यह उपलब्ध नहीं होगा। उक्त 15 दिनों से अधिक के और विस्तार के अनुरोधों पर, सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

35. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उसके लिए सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

36. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तरों और उनके परिशिष्टों तथा अनुलग्नकों सहित कोई भी अनुरोध प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय पाठ पृथक रूप से दायर करना अपेक्षित है। जहां कोई अनुरोध अनेक भागों में प्रस्तुत किया जाता है, वहां प्रत्येक भाग में सभी भागों और संलग्न दस्तावेजों की विषय-वस्तु को दर्शाने वाली एक अनुक्रमणिका तालिका दी जाएगी, और सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाएगी।

37. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिंदी से भिन्न किसी भाषा में हों, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्य अनूदित पाठ प्रस्तुत करेंगे।
38. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना होगी जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ इस बात का सकारण विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ अनिवार्य रूप से गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध (इंडेक्स) किया गया हो अथवा (जहां सूचीकरण संभव न हो) रिक्त छोड़ दिया गया हो, और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार ऐसी सूचना का उपयुक्त और पर्याप्त रूप से सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
41. अगोपनीय सारांश इतने पर्याप्त विवरण में होना चाहिए कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, और सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त

व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसा सारांश संभव न होने के संबंध में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

42. हितबद्ध पक्षकार आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
43. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध के संबंध में, गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
45. प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी भी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

Digitally signed by

Amitabh Kumar

Date: 30-09-2026

13:12:14

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी